

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>6/5/24</p> <p>18</p> <p>CC-10-24</p>	<p>राजेश्वर / 4 (का) 6/5/19</p> <p><b>पत्रावली पेश।</b> वकील अपील को पूर्व पेरी पर हंदायत दी गई थी कि अपनी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा अपनी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपील को रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अपनी अपील के प्रति यत्नी नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली पेश करने वाले से कम होकर बाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>श्री प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दलून)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> 